(4) योजना का चयन करने वाले वाहन चालकों को उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार देय पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण आदि की नियमानुसार पात्रता होगी।

(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि (अंतिम संदाय) निम्नानुसार होगी :—

(एक) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (व्ही.आर.एस.) की राशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये 45 दिन के कुल वेतन के समतुल्य राशि के बराबर होगी। अधूरे वर्ष के लिये राशि अनुपात के अनुसार निर्धारित की जावेगी।

अथवा

(दो) अधिवार्षिकी के दिनांक तक शेष कालावधि के लिये कुल वेतन।

अथवा

(तीन) रु. 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार)

इनमें से जो भी सबसे कम हो। कुल वेतन का तात्पर्य मूल वेतन और महंगाई भत्ते से है।

(6) ऐसे अतिशेष वाहन चालकों को, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेते हैं, राज्य शासन के अन्य विभाग अथवा राज्य शासन के नियंत्रित तथा सहायता अनुदान प्राप्त किसी निगम, मंडल, कंपनी, स्वशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकारो, स्थानीय बोर्ड तथा स्थानीय निकाय में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(7) प्रत्येक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि अतिशेष कर्मचारी द्वारा धारित पद संबंधित की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक से समाप्त हो जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी सक्षम होंगे।

(9) देय राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

(10) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मान्य हो जाने के पश्चात् कर्मचारी को अपना आवेदन वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

(11) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात् कर्मचारी द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रभाव से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा सकेगी।

(12) किसी वाहन चालक का आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि उस स्थापना में वाहन चालकों की कमी है।

2. कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं से अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को भी अवगत करवाएं।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 623/1356/2002/नियम/चार, दिनांक 5-8-2002 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.